

प्रेषक,

अधिकाशासी अभियन्ता  
बाढ कारुड खणुड, प्रयागराज ।

प्रेषुड,

रजिस्ट्रार  
एन0जी0टी0  
प्रिन्सिपल बेंच, नई दिल्ली ।

पत्रांक:- 1355 /कु0मे0प्र0प्र0/कोर्ट केस/ दिनांक - 12.07. 2024.

विषय:- मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली में योजित ओ0 एस0सं0-203/2002 में रिस्पांस दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि 15.07.2024 नियत है, जिसमें रिस्पांस दाखिल किया जाना अपरिहार्य है । मा0 न्यायालय के समादर में परीक्षण कर रिस्पांस तैयार कर लिया गया है ।

अतः रिस्पांस संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

संलग्नक : ' 01 एवं 02,



अधिकाशासी अभियन्ता  
बाढ कारुड खणुड, प्रयागराज

पत्रांक:- /कु0मे0प्र0प्र0/तदिनांक 2024.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कारुड मणुडल, प्रयागराज उनके आदेश सं04835/सिंकामं प्र/ बैठक/दिनांक 12.07.2024 के कम में ।

अधिकाशासी अभियन्ता  
बाढ कारुड खणुड, प्रयागराज

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०एस० संख्या-203/2022 श्री कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक -08.04.2024 की अनुपालन आख्या

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत आवेदन संख्या 203/2022 में दिनांक 08.04.2024 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या-03 एवं बिन्दु संख्या-04 जो निम्नवत उल्लिखित है:-

"3. So far as respondent no. 11 is concerned, response has been filed today stating that there is a possibility of availability of adequate water in the forthcoming of Kumbh Mela and during Magh Mela. In the report, it is stated that in the previous 08 years at the time of Kumbh and Magh Mela, minimum water level of river Yamuna at the upstream of Sangam has been measured as 72.07 meter but the report does not mention the quantity of water which is received in the river in terms of cusec meters.

4. Learned Counsel appearing for respondent no. 11 seeks time to file a fresh report covering all the relevant aspects including the above aspects."

उपरोक्त के सम्बन्ध में मा० अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की अनुपालन आख्या निम्नवत है:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रयागराज में कुम्भ मेला के दौरान यमुना नदी में पानी के डिस्चार्ज (क्यूसेक में) की वांछना की गयी है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सादर अवगत कराना है कि उक्त डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। (संलग्नक-1)

अग्रेतर सूचनीय है कि अपेक्षित डाटा वर्गीकृत (Classified) डाटा है, तथा Public Domain में नहीं है। उक्त वांछित डाटा केन्द्रीय जल आयोग के हेड क्वार्टर, सेवा भवन, आर०के०पुरम् नई दिल्ली के पास उपलब्ध हो सकता है। केन्द्रीय जल आयोग भी इस याचिका में प्रतिवादी के रूप में एक पक्षकार है। मा अधिकरण के समक्ष उक्त वर्गीकृत डाटा के प्रकटीकरण हेतु केन्द्रीय जल आयोग, जो इस योजित याचिका में एक पक्षकार भी है, को मा० अधिकरण निर्देशित करना चाहें।


मा० अधिकरण के दिनांक-08.04.2024 के निर्देश के समादर में प्रतिवचन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त दाखिल किये जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
अधिशान्ती अभियन्ता  
बाढ़ कार्य खण्ड, प्रयागराज

  
06.07.24  
अधीक्षण अभियन्ता  
सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज

  
08/07/24  
मुख्य अभियन्ता (सोन)  
वारानसी



कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल  
प्रयागराज

पत्रांक: 1059/अ0नि0ज0सं0मं0प्र0/गेज

दिनांक: प्रयागराज: 13/06/24

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या- 203/2022 कमलेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक- 08.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक- 960/बाकाखंप्र/एन0जी0टी0/दिनांक- 30.05.2024

अधिशाली अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड- प्रयागराज।

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में पत्रांक- 843/बाकाखंप्र/एन0जी0टी0/दिनांक- 09.05.2024 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0संख्या- 203/2022 में दिनांक- 08.04.2024 में पारित आदेश में बिन्दु संख्या- 3 एवं 4 पर रिमान्स दाखिल करने के अनुक्रम में बिन्दुवार आख्या संलग्न कर आप द्वारा अप्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है, के उपरान्त इस मण्डल को पत्रांक- 960/बाकाखंप्र/एन0जी0टी0/दिनांक- 30.05.2024 द्वारा विगत 08 वर्षों में कुम्भ मेला एवं माघ मेला के दौरान यमुना नदी में पानी की उपलब्धता/औसत डिस्चार्ज का विवरण सम्बन्धी सूचना की बांछना की गयी है।

अतः आपको अवगत कराना है कि यमुना नदी पर गेज डिस्चार्ज मापन का कोई कार्य इस मण्डल के अधीन नहीं है। सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

*[Signature]*  
अधीक्षण अभियन्ता

अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल  
प्रयागराज

पत्रांक:- 1059 (1)/अ0नि0ज0सं0मं0प्र0/दिनांक:

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

*Sh Letchum/AE V*  
*[Signature]*  
*GCE*  
*15/6*

अधीक्षण अभियन्ता  
अनुसंधान एवं नियोजन (जल संसाधन) मण्डल  
प्रयागराज

SECURITY UNDERTAKING

I .....(Name in full with designation) do hereby undertake to abide by the following conditions in respect of the Hydro-meteorological Data supplied.

1. The hydro-meteorological Data pertaining to ..... (Name of Sub Basins for which data is required) of River systems collected from..... Organization of Central Water Commission, with reference to letter No. .... Dated ..... will be used strictly for the said official purpose for which the data has been asked for.

2. The data will not be supplied to any Governmental /Non Governmental or Public Sector Undertaking without the prior concurrence /fresh permission.

OR

I have already intimated to the Central Water Commission that we have engaged M/S ..... (Name of the consultant) a National/an International consultant for carrying out the studies and data will be handed over to them for the purpose. I understand that I will be held responsible for passing the data to other agencies (Other than consultants) even if it is passed by our consultants.

3. The data will not be published without the prior permission. The released classified data shall not be reproduced in any report/publication/Detailed Project Report (DPR), etc. Only result of analysis and inferences drawn thereof should be published. The contribution of CWC shall be duly acknowledged in the DPR/Report/Publication.

4. The data shall be used for the specific purpose only for which the approval of the competent authority has been accorded.

5. Central Water Commission will not be held responsible for any inference drawn based on these data.

6. Subsequent to release of data, if we deploy any other National/International consultants for carrying out studies referred in my data request form, I will take prior permission from Central Water Commission for transfer of data to them.

7. I understand that any breach of undertaking may invite civil liability.

Signature of the Officer  
of the Rank of Chief Engineer/General Manager/Head of Department/  
Managing Director or equivalent

Name in full with Designation: .....

Name of the Department : .....

Address of the Office : .....

Dated : .....

13 July 2024 3:44 pm

ALONG WITH OFFICE SEAL